प्रेस नोट–जनपद बिजनौर **दिनॉक–27.03.2025**

“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत 13 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को करायी गयी सजा।

उ0 प्र0 शासन द्वारा कानून का राज स्थापित करने, अपराध मुक्त समाज बनाने एवं आमजन को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की मंशा के अनुरूप पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपराधियों को मा0 न्यायालय से कठोरतम सजा कराये जाने हेतु **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य माननीय न्यायालय में पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सशक्त / प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को मा0 न्यायालय से अधिकतम सजा दिलवाना है। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अपराधियों पर कठोरतम कार्यवाही करते हुए **बिजनौर पुलिस समाज में सुरक्षा, शांति एवं सुशासन की स्थापना के लिए कृतसंकल्पित है।**

इस क्रम में जनपदीय पुलिस को हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग एवं सत्यापन व उनके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद के प्रत्येक थाना प्रभारी को हिस्ट्रीशीटर से सम्बंधित एक – एक अभियोग आवंटित किया गया है।

अभियान के तहत की गई कार्यवाही –

फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक **बिजनौर पुलिस** द्वारा चिन्हित हिस्ट्रीशीटर अपराधियों से संबंधित **08 अभियोगों में प्रभावी पैरवी** कर **13 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों** को **विभिन्न अवधि के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित** कराया गया है।

प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप कठोर सजाएं –

मा0 न्यायालय में पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सुनियोजित व प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा थाना किरतपुर के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रियाज पुत्र बाबू निवासी ग्राम भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को वर्ष – 2019 के एनडीपीएस एक्ट के अभियोग में 10 वर्ष दो माह के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष – 2014 में थाना नांगल पर पंजीकृत लूट के अभियोग में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सोनू उर्फ लादेन पुत्र राजकुमार निवासी कुटिया कॉलोनी थाना कोतवाली शहर को 07 वर्ष से अधिक की

अवधि के कारावास से दण्डित किया गया है एवं वर्ष – 2021 में थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत लूट के अभियोग में 04 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तगण 1.मौसम उर्फ मोहसिन पुत्र महबूब निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.दीपक पुत्र चन्द्रपाल 3.मलखान पुत्र कैलाश 4.प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र पीतम सिंह निवासीगण ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 06 – 06 वर्ष के कारावास एवं प्रत्येक को 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अन्य हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को भी विभिन्न अवधि के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि अपराधियों को उनके कृत्यों का कठोर दंड मिले और भविष्य में वे पुनः अपराध करने से बचें।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण / नोडल अधिकारी मॉनिटरिंग सेल के निकट पर्यवेक्षण में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत मा0 न्यायालय में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को अधिकतम सजा कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है। भविष्य में भी इसी प्रकार **गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम दंड सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाएगी**। इसके अतिरिक्त **हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी और संगठित अपराधों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी**।

विवरण

क्र.सं.	**जनपद**	**HS का नाम व पता**	**HS संख्या**	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**अपराध की प्रकृति**	**सजा का दिनांक**	**सजा का विवरण**
1	बिजनौर	तसलीम उर्फ युसूफ पुत्र बाबू नि0 ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर	33A	182/2020	307/325/324/323/149/504/506 भादवि	किरतपुर	चोरी व लूट	11/02/2025	अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2	बिजनौर	रियाज पुत्र उस्मान उर्फ बाबू नि0 मौ0 भनेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर	80A	182/2020	307/325/324/323/149/504/506 भादवि	किरतपुर	चोरी व मादक पदार्थो की तस्करी	11/02/2025	अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3	बिजनौर	फरमान पुत्र मौ0 अकबर नि0 कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर	90A	182/2020	307/325/324/323/149/504/506 भादवि	किरतपुर	गौ-वंशीय अपराध	11/02/2025	अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4	बिजनौर	इंतजार पुत्र अय्यूब नि0 मो0 कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर	47A	182/2020	307/325/324/323/149/504/506 भादवि	किरतपुर	चोरी व मादक पदार्थो की तस्करी	11/02/2025	अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
5	बिजनौर	मियांजान पुत्र मकसूद नि0 मो0 इस्लामनगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद, बिजनौर	21A	182/2020	307/325/324/323/149/504/506 भादवि	किरतपुर	चोरी व मादक पदार्थो की तस्करी	11/02/2025	अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह का कारावास व 09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
6	बिजनौर	रियासत उर्फ राणा पुत्र सगीर अहमद नि0 मौहल्ला लकडहारान कस्बा व थाना नहटौर	82 A	439/2020	8/21 एनडीपीएस एक्ट	नहटौर	मादक पदार्थो की तस्करी	18/02/2025	अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास की सजा व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
7	बिजनौर	इन्तजार पुत्र अय्यूब नि0 ग्राम कल्हैडी थाना नजीबाबाद	47A	88/2023	2(b)(17)/3(1) गैंगस्टर एक्ट	बढापुर	चोरी व मादक पदार्थो की तस्करी	18/02/2025	अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
8	बिजनौर	मौसम उर्फ मोहसिन पुत्र महबूब नि0 ग्राम दारागंज थाना को0शहर	177A	702/2021	394/411 भादवि	कोतवाली शहर	लूट	20/02/2025	अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
9	बिजनौर	दीपक पुत्र चन्द्रपाल नि0 ग्राम पृथ्वीपुर थाना को0 शहर	189A	702/2021	394/411 भादवि	कोतवाली शहर	लूट	20/02/2025	अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
10	बिजनौर	मलखान पुत्र कैलाश नि0 ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर	178A	702/2021	394/411 भादवि	कोतवाली शहर	लूट	20/02/2025	अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
11	बिजनौर	प्रवेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र पीतम सिंह नि0ग्राम पृथ्वीपुर थाना कोतवाली शहर	188A	702/2021	394/411 भादवि	कोतवाली शहर	लूट	20/02/2025	अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

12	बिजनौर	गुलजार पुत्र इरशाद नि0 ग्राम सरायइम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर	102A	137/2022	3/10 गुण्डा अधि0	किरतपुर	चोरी	25/02/2025	अभियुक्त को 07 माह के कारावास की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
13	बिजनौर	सोनू उर्फ लादेन पुत्र राजकुमार नि0 कुटिया कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर	68A	72/2014	392/504/506 भादवि	नागल	लूट	28/02/2025	अभियुक्त को 07 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दण्डित किया गया।
14	बिजनौर	विमल पुत्र राजेन्द्र नि0 मौ0 शिव मन्दिर के पास थाना रेहड जनपद बिजनौ	38A	161/2023	379/411 भादवि	धामपुर	चोरी	03/03/2025	अभियुक्त को 1 वर्ष 5 माह के कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
15	बिजनौर	रियाज पुत्र बाबू नि0 ग्राम भनेडा थाना किरतपुर	80A	266/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	किरतपुर	चोरी व मादक पदार्थो की तस्करी	26/03/2025	अभियुक्त को 10 वर्ष 2 माह का कठोर कारावास की सजा व 1 लाख रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना मण्डावर दिनॉक 27.03.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/25 धारा 137(2)/87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.03.2025 को वादिया ने थाना मण्डावर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अंसब पुत्र शेरखान निवासी रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 49/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 बनाम अंसब उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 26.03.2025 को अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्वि की गयी।

कार्यवाही–

आज दिनांक 27.03.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 49/25 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अंसब पुत्र शेरखान निवासी रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अंसब पुत्र शेरखान निवासी रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंसब उपरोक्त–

1– मु0अ0सं0 49/25 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मण्डावर

2– मु0अ0सं0 135/24 धारा 504/506 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– प्रभारी निरीक्षक श्री मृदुल कुमार सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

2– आरक्षी 2375 उपेन्द्र मलिक थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।